नकल आदेश दिनांक 29-08-18

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर सहारनपुर।

वाद संख्याःटी20180960010U689 अं0 धारा– 80 व 81 उ0 प्र0 राजस्व संहिता

श्रीमति लता चेरिटेबिल ट्रस्ट
द्वारा विनोद कुमार बनाम सरकार

ता0 फै0 29-8-18

मौजा– बड़ूली परगना हरौडा तहसील व जिला सहारनपुर।

आदेश

प्रश्नगत वाद में **श्रीमति लता चेरिटेबिल ट्रस्ट** द्वारा विनोद कुमार पुत्र इन्द्र सिहं सागवान (ट्रस्टी) निवासी **सुन्दरपुर तहसील बेहट जिला सहारनपुर** द्वारा धारा 80 (1) के अन्तर्गत आबादी दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें उल्लिखित तथ्यों की जांच आख्या तहसीलदार,सहारनपुर द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित की गयी।

तहसीलदार, सदर, द्वारा प्रेषित जांच आख्या दिनांक 16.08.2018 में अवगत कराया है कि ग्राम बड़ूली पर0 हरौडा तहसील व जिला सहारनपुर के खाता संख्या 243 खसरा नं0 158 रकबई 1.027 हेक्टेयर पर **श्रीमति लता चेरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा विनोद कुमार पुत्र इन्द्र सिहं सागवान (ट्रस्टी) निवासी सुन्दरपुर तहसील बेहट जिला सहारनपुर** का नाम बतौर सक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। वर्तमान में खसरा नम्बर नं0 158 रकबई 1.027 हेक्टेयर पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उदघोषित किये जाने वाली भूमि मे कोई सहखातेदार नही है। उदघोषित की जाने वाली भूमि के उत्तर –पूरब मे खलियान का नम्बर अन्य कोई किसी भी तरफ ग्राम समाज का नम्बरान नही है। वर्तमान मे उदघोषित की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध मे कोई वाद विचाराधीन नही है। जिसकी पुष्टि हेतु मौके की फोटो प्रति सलंग्न की गयी है। जिसका सर्किल रेट के आधार पर एक प्रतिशत रू0 59,000/–(उनसठ हजार रूपये) होता है, जो कि वादी द्वारा चालान संख्या वी–19 रूपये 59,000 रूपये दिनांक 21.07.2018 द्वारा पूर्ण धन जमा कर दिया गया है, जिसके चालान की प्रति पत्रावली पर सलंग्न है।

प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के समर्थन में जो0 चे0 आकार पत्र 41 व 45, नकल हाल खतौनी, नक्शा नजरी, नकल खसरा साल 1359 फसली की सत्यप्रतिलिपि दाखिल किया है।

अतः तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 16.08.2018 स्वीकार की जाती है। ग्राम बड़ूली पर0 हरौडा तहसील व जिला सहारनपुर के खाता संख्या 243 खसरा नं0 158 रकबई 1.027 हेक्टेयर पर **श्रीमति लता चेरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा विनोद कुमार पुत्र इन्द्र सिहं सागवान (ट्रस्टी) निवासी सुन्दरपुर तहसील बेहट जिला सहारनपुर** से लगान 42.65 रूपये समाप्त करते हुए भूमि अकृषिक उद्घघोषित की जाती है। तद्नुसार आदेश की एक प्रति तहसीलदार, सदर को इस निर्देश के साथ कि वह राजस्व अभिलेखों में उक्त आदेश का अमलदरामद कराना सुनिश्चित करें। आदेश की एक प्रति ए0आई0जी0 स्टाम्प को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायें। पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।

दिनांकः 29-08-18

उपजिलाधिकारी
सदर,सहारनपुर।

दरख्वास्त पत्र सं0 620
प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 05-9-18
नकल ... 06-9-18
नकल ... 06-9-18
नकल स्टाम्प शुल्क 02 / 07-00
कुल प्रतिलिपि शब्द 250 लगभग

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता

जिला सहारनपुर (उ.प्र.)

C-f 02 / 07-00

सत्य प्रतिलिपि
06/9/18
नायब नाजिर ... सहारनपुर